..... समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था विधान ( नियमावली ) इस संस्था का नाम ALUMNT ASSOCIATION, ENGINEERING COLLEGE, AJMER समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा। पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय अग्रिस (AJMER) तथा कार्यक्षेत्र:-तथा इसका कार्यक्षेत्र र्पे पूर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा। संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-विज्ञान, तकनीकी, पेशेवर प्रबंधन कलात्मक ज्ञान के सम्बय् तमा आदान - घरान के लिंब रचुगम माध्यम (भैच) अपलब्ध करवाना । सामाणि लह्यों की प्रति में सहयोग करना | रंगित निर्ध का धाताहत तथा सदस्थाओं के त्रिय अध्ययन, कौरल (९४:113) के साथ परिभूगीत्मक सुविधांष्ठे व अवसरा की उपलब्ध ता सुनिर्द्धिय करना बिना लाभ-हार्न के संगठनाता उहेरमी की सात अरना । ह्यामों के विकास तथा नवीन तकनीठी के साथ, सामाजिक प्रवेशन · योग्य व जम्मतमं धार्मों को अकादामिन , द्वात्रवृतियां, अनुरान,

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

स्वीहत कर उच्च शिष्ण के पिश्र शिसाहित बरना

13

अध्यक्ष


President)

Tayet

(Secretary)

कोष्ट्राध्यक्ष

(Treasurer)



4. सदस्यता :	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।	
	2- बालिंग हों।	
	, 3- पागल, दीवातिये न हों।	
	<ul><li>4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था एखते हों।</li></ul>	a .
	५- संस्था के हित को सर्वोपिर समझते हों।	
5. सदस्यों का वर्गीकरण :	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे : 1-संरक्षक	1
	2-तिशिष्ठ	
	_3-सप्पात्तीय	
	4-साधारण (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)	,
<ul><li>ं. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :-</li></ul>	उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क, व चन्दा देय होगा :-  1-संरक्षक राशि 1.00 — वार्षिक/आर्जन्म  2-विशिष्ठ राशि 1.000 — वार्षिक/आर्जन्म	1 4 7
ঝোস	3-सम्मावनीय सशि <u>वार्षिक</u>   4-साधारण राशि <u>000</u> — वार्षिक   उक्त ाशि एक मुश्त अथवा ह. ———————————————————————————————————	
7. सदस्यता से निष्कासन :	v	
	2-त्याग-पत्र देने पर	
	3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर	
	4-प्रबन्धकःरिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।	7
	15	
ध्यक्ष	पन्त्री परि	कानाञ्चाक्ष

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:-

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

 साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :- साधारण सभा के निभ्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

- 1-प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
- 2- वार्षिक बजट पारित करना।
- 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
- 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन क जा।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा र्का बैठकें :--

- 1- साधारण राभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
- 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थिगित की जा सकेगी जो पुन: 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थिगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
- 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अविध में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैटक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

16

Jayes

मन्त्री

3 BH2121

अध्यक्ष

11. कार्यकारिणी का गठन :-															
4		(2) उपाध्यक्ष-एक													
	(3)मन्त्री-एक	(4) कोगाध्यक्ष-एक	(5) संयुक्त सारीय- 1												
6. सदस्य-सात  (उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अकित करें।  कम रखना चाहें तो कम रख लें।)  इस प्रकार प्रवन्धकारिणी में															
								12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :—	12. कार्यकारिणी का 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा						
								2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।							
	3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रयन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।														
13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :	संस्था की कार्यका	रेणी के निम्नलिखित	अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :-												
आधिकार जार कार्रक	1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।														
	2- वार्षिक बजट तैयार करना।														
	3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।														
<ul> <li>4- वैतिनक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धाः</li> <li>व सेवा मुक्त करना।</li> <li>५- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।</li> </ul>															
								6- कार्य व्यवस्था	हेतु उप समितियां दनाना	Ī.					
	7- अन्य कार्य जो	संस्था के हितार्थ हों, क	रना।												
Mi		17													
		मन्त्री	कीशस्त्रभ												

अध्यक्ष

- 14. कार्यकारिणी की बैठकें: 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
  - 2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
  - 3- बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
  - 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थिगत बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।
  - 15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :--

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :--

## १-अध्यक्षः

- 1- बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2- मत बरागर आने पर निर्णायक मत देना।
- बैठकें आहुत करना।
- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

## 2-उपाध्यक्ष :

- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- 2- प्रवन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

#### 3-मन्त्री :

- 1- बैठकें आहूत करना।
- 2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

- 3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
- 4- वैतिनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
- 5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 6- पत्र व्यवहार करना।
- 7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

### 4-उपमंत्री :

- 1- मन्त्री को अनुपस्थिति में मन्त्रो पद के समस्त कार्य संचालन करना।
- 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

## 5-कोषाध्यक्ष :

- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना)
- 2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
- 3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :--

## संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

- 1- चन्दा
- 2- शुल्क
- 3- अनुदान
- 4- सहायता
- 5- राजकीय अनुदान
- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

19

अध्यक्ष

मन्त्री प्रथम

कीषाध्यक्ष

ı	17. कोष सम्बन्धी				
ı	विशेषाधिकार:-	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी			
ı		रात्वा का तारा एक भुशत स्वाकृत कर सक्ता :-			
ĺ		1- अध्यक्ष 5.0, тоо			
	-	2-मन्त्री र्थ 5, <b>००० /</b> रु.			
ı	-	3-कोषाघ्यक्ष <b>0,000</b> र.			
		उपरोक्त राशि का अनुमादन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।			
	18. संस्था का अंकेक्षण :	संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रिजस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।			
	19. संस्था के विधान				
	भें परिवर्तन :	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3			
		बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।			
I	20. संस्था का	यदि संस्था का विवादन आक्षणक प्रथम जो संस्था जो संस्था			
	विघटन :	यदि संस्था का वियटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही			
I		राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।			
		रिजस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।			
	21 संस्था के लेखे जोखे	रजिस्ट्रार संस्थाएं को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच			
	का निरीक्षण :	करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।			
	प्रमाणित किया जाता कि	उक्त विधान (नियमावली)			
	हैमदामह्हि।सद Coll हुँ है, कि लिंदी सिमायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।				
l					
	•				
	अध्यक्ष	गन्त्री कोषाध्यक्ष			
	Adia	20			
4		Jayeth (1)			
,	्र अध्यक्ष	मन्त्री क्रीधाध्यात्र			
	जञ्च्य				

95.50

# संघ विधान पत्र - संस्था के उद्देश्य

संस्था का नाम: ALUMNI ASSOCIATION ENGINEERING COLLEGE, AJMER
मिनि। मोगार्टी। संस्थान्। संस्था है व रहेगा ।
पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र: अज्ञामर व कार्यक्षेत्र। र्मपूर्ग (कार्यालय)
राजस्यान रहेगा
इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है
1. विज्ञान, तक्तीनी, पेरोवर, प्रवंधम, कलास्मठ ज्ञान के समत्वय तथा उन्हों माध्यम (मंप) अपलक्ष्यकरवामा
2. सामाजिक लठ्यों की स्राप्ति में संस्थोग करना
3. संनित्त मार्थ का धानों तथा स्वरखों के अध्यय, जैराल के साप विकास व विवेठपूर्ण रुपयोगा
4. विना लाभ-हार्नि के संगठनात्मर उद्देश्यों की प्रार्टि करना।
5. बानों के विक्रस्न तथा नवीन तक्नी की किसाप सामाजिक प्रबंधन
6. योग्य व जरूरतमेद कालों हो अकादानिक, द्वालवृत्तियां , अनुदान स्वीकृत करना )
7. ारी प्रीन्न रेनेप्रिनार तथा विक्रॉाप का अधोजन करना
8. भूतपूर्व विद्यार्थियों तथा वर्तमान अध्ययमस्त द्वान्नों के बीच अनुभव व द्यान की सासा करना
9. उत्प विभा (Higher Edue) तथा भियोजन (Employment) के अवसर उपलक्षा अरवमा
10. संग्रधालक लघ्यों भी पार्त के साथ-साथ समाज के जस्त्रतमंद्र का को मयद करना
11. समिति हे सर्ख्या हे। लिंड बेस्तर झावासीय, श्रीसा अनुसंधान, निरित्सा है। पिछ बेस्तर
12. यामाजिन सुरष्ठा की उपलक्षाता सुनिष्ठित करना।
13.
14.
15.
उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है
Molin Tuch
अध्यक्ष/ President मंत्री/ Secretary कोषाध्यक्ष/ Treasurer
MAIN Secretary